न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01 एटा।
उपस्थित : नरेन्द्र कुमार सिंह, :: एच.जे.एस.::
J.O.Code U.P. 5992
सत्र परीक्षण संख्या–21 / 2017
राज्य – बनाम् ––मिन्टू आदि

अ0सं0–116 / 1993
धारा–147, 148, 149, 302, 307 भा0दं0सं0
थाना–जैथरा, जिला एटा।

17.08.2023

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र **86अ** अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना जा चुका है।

–निस्तारण प्रार्थनापत्र 86ब अन्तर्गत धारा 319 दं0 प्र0 सं0–

प्रार्थना पत्र 86ब वादी सतीश की ओर से उसके व्यक्तिगत अधिवक्ता द्वारा दिया गया है, जिसे विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा सबमिट किया गया है, जिसका संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि :–

प्रार्थी उपरोक्त मुकदमा में वादी है तथा प्रार्थी ने उपरोक्त घ ाटना की रिपोर्ट पंक्षी, मिन्टू पुत्रगण रूप सिंह, दुर्विजय पुत्र किशन, विश्वनाथ, विजयपाल पुत्रगण हेत सिंह, पप्पू पुत्र सूरजपाल सिंह, श्याम पुत्र पृथ्वी सिंह के खिलाफ थाना जैथरा पर दिनांक 21.05.1993 को अंकित करायी थी। उपरोक्त मुकदमें में न्यायालय से फाइल गायब हो जाने के कारण मुकदमा लम्बा चलता रहा तब प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की और वहॉ से उपरोक्त मुकदमें में फाइल को दोबारा तैयार कराकर मुकदमें की फाइल को कमिट करने का आदेश हुआ और अब इस न्यायालय में वादी व जयपाल का व मुन्नू सिंह का बयान अंकित किया जा चुका है। वादी के बयान में व गवाहों के बयान में विश्वनाथ पुत्र हेत सिंह का नाम घटना कारित करने वालों में आया है, जिन्होंने आज तक जमानत नहीं करायी और न ही हाजिर हुए। अतः धारा 319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्याय की दृष्टि से विश्वनाथ को उपरोक्त मुकदमें में तलब करने की कृपा करें।

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–319 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तिओं के विरूद्व कार्यवाही करने की शक्ति :–

(1) जहॉ किसी अपराध की जॉच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध कारित किया है, जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहॉ न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्व उस अपराध के लिये जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत हो, कार्यवाही कर सकेगा।

(2) जहॉ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है, वहॉ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षा अनुसार गिरफ्तार व सम्मन किया जा सकता।

Digitally signed by NARENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.08.17 15:50:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार व सम्मन न मिये जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है,ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिये, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जॉच या विचारण के प्रयोजन के लिये निरूद्व किया जा सकता है।

(4) जहॉ न्यायालय किसी व्यक्ति के विरूद्व उपधारा–(1)के अधीन कार्यवाही करता है, वहॉ :–

(क)– उस व्यक्ति के वारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जायेगी तथा साक्षियों को फिर से सुना जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था। जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था, जिस पर जॉच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपरोक्त उपबंध के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थायें निम्नवत् हैं:–

1– सरोजवेन अश्विन कुमार शाह एवं अन्य प्रति गुजरात राज्य 2011 ए.आई.ए.आर. (क्रिमिनल) पेज–750 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–319 के अन्तर्गत यद्यपि यह न्यायालय का विवेकाधिकार है, किन्तु इसका उपयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय की असाधारण शक्ति है, जिसका उपयोग बहुत कम किया जाना चाहिए, यदि साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, केवल तभी विचारण के लिये आहूत किया जा सकता है। मात्र सन्देह के आधार पर अभियुक्त को विचारण के लिये आहूत नहीं किया जा सकता है।

2– हरदीप सिंह प्रति पंजाब राज्य आदि 2009(1) जे.आई.सी. 362 सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि :–

(1) धारा–319 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत न्यायालय को प्राप्त शक्ति विवेकाधीन शक्ति है, जिसका प्रयोग यदाकदा अपवादित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए नियमित रूप में नहीं।

(2) न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते समय यह देखा जाता है कि अभियुक्त के विरूद्व कार्यवाही अग्रसर करने के लिये क्या प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है या नहीं है, परन्तु अन्तर्गत धारा–319 दं0 प्र0 सं0 के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला के सम्बन्ध में सन्तुष्टि की गुणवत्ता अधिक होनी चाहिए।

(3) दं0 प्र0 सं0 की धारा–319 में प्रयुक्त साक्ष्य का तात्पर्य न्यायालय में जॉच के समय अथवा विचारण के समय दिये गये साक्ष्य से है और जॉच के समय प्राप्त साक्ष्य का प्रयोग समर्थन में सम्पोषक साक्ष्य के रूप में किया जाना चाहिए।

(4) अभियुक्त को न्यायालय द्वारा तभी तलब किया जाना चाहिए, जब उसके विरूद्व मजबूत व विश्वसनीय साक्ष्य हो।

3– सईदा खातून आरसी बनाम् उ0 प्र0 राज्य आदि 2020 (1) जे.कि. केसेज 300(एस सी) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने

मत व्यक्त किया है कि धारा–319 दं0 प्र0 सं0 के प्रावधान न्यायालय को यह शक्तियां प्रदान करते हैं कि परीक्षण में अभिलिखित साक्ष्य से यदि कोई और व्यक्ति पर भी दोषी होने की सम्भावना उजागर होती है तो न्यायालय उस व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में सम्मन कर सकती है।

4– अब्दुल बहाव प्रति उत्तर प्रदेश राज्य आदि 2014(3) जे0 आई0सी0744(इलाहाबाद) में माननीय उच्च न्यायालयइलाहाबाद की विधि व्यवस्था में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–319 के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त किया गया है कि :–

(1) धारा–319 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त को तलब करने के लिये साक्षियों की प्रतिपरीक्षा होना आवश्यक नहीं है।

(2) प्रस्तावित अभियुक्त का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–319 के अन्तर्गत आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

(3)दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–319 के अन्तर्गत संज्ञान विचारण के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर लिया जाना चाहिए। अन्वेषण के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर नहीं।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–319 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तिओं को तलब किया जा सकता है, जिनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में न हो अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम हो परन्तु उनके विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया हो तथा ऐसे व्यक्तिओं को भी तलब किया जा सकता है, जिन्हें न्यायालय द्वारा उन्मोचित किया गया है और साक्ष्यों से यह प्रतीत हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्त के साथ किया जा सकता है।

(5) धारा–319 दं0 प्र0 सं0 की शक्तिओं का प्रयोग न्यायालय स्वयं एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भी कर सकती है।

इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–319 में दिये गये उपबन्धों के परिशीलन से स्पष्ट है कि किसी अपराध के विचारण के दौरान न्यायालय में दिये गये साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उस अपराध में ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता है, जिसे अभियुक्त नहीं बनाया गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति को अन्य सह अभियुक्तों के साथ विचारण हेतु अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में आहूत कर सकती है। किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में विचारण हेतु सम्मन करने के लिये साक्ष्य की गुणवत्ता किस स्तर की होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में विधि का स्थापित सिद्वान्त यह है कि *''साक्ष्य के परीक्षण का स्तर प्रथम दृष्ट्या मामले से अधिक होना चाहिए जैसा कि आरोप तय करने के समय प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस हद तक सन्तुष्टि की कमी है कि सबूत, यदि अखण्डित रह जाता है तो दोषसिद्धि हो जायेगी।''*

इसके साथ ही साथ यह भी स्थापित सिद्वान्त है कि *''धारा–319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदान की गयी शक्ति असाधारण एवं विवेकाधीन शक्ति है, जिसका प्रयोग यदाकदा सावधानीपूर्वक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मजबूत एवं विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर प्रयोग करना चाहिए।''*

प्रश्नगत मामले में की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकद्मा सतीश द्वारा द्वारा स्थानीय थाना जैथरा पर लिखित तहरीर प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर प्रथम सूचना

रिपोर्ट संख्या–101 सन् 1993, जिसका अ0सं0–116/1993 पर कुल 07 अभियुक्तगण पंछी, मिन्टू, किशनू, विजपाल, श्याम, विश्वनाथ एवं पप्पू के विरूद्व अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 302, 307 भा0दं0सं0 में पंजीकृत हुई थी, परन्तु विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त विश्वनाथ पुत्र हेत सिंह को छोड़कर शेष 06 अभियुक्तगण पंछी, मिन्टू, किशनू, विजपाल, श्याम एवं पप्पू के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

यहॉ विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय से प्रश्नगत पत्रावली विलुप्त हो जाने के कारण सभी पुलिस प्रपत्रों का पुर्नगठन किया गया है, जिसकी प्रमाणित छायाप्रतियॉ पत्रावली पर उपलब्ध है।

विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा दिनांक 16.12.2016 को अभियुक्तगण मिन्टू, दुर्वविजय, विजयपाल सिंह उर्फ बृजपाल सिंह एवं पप्पू उर्फ कुसुम कुमार के मामले को सत्र सुपुर्द किया गया, जिसके उपरान्त दिनांक 05.01.2018 को तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, महोदय द्वारा चारो अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 302/149, 307/149 भा0दं0सं0 विरचित किया गया तथा न्यायालय में तीन साक्षीगण पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा सतीश कुमार, पी0डब्लू0–2 जयपाल एवं पी0डब्लू0–3 मुन्नू सिंह का बयान अंकित किया गया, जिसके उपरान्त वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 कागज संख्या 86ब अभियुक्त विश्वनाथ को प्रश्नगत मामले में तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त तीनों साक्षीगण के बयान का परिशीलन किया गया, जिससे यह स्प्ष्ट होता है कि वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 सतीश कुमार एवं पी0डब्लू0–3 मुन्नू सिंह ने अन्य अभियुक्तगण के साथ विश्वनाथ को नाजायज बंदूक हाथ में लेकर दौड़ाने और फायर करने की बात कही है, परन्तु इन दोनों साक्षियों ने विशिष्ट रूप से अभियुक्त विश्वनाथ की घटना में क्या भूमिका रही, उसका कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है।

घटना में चुटैल साक्षी पी0डब्लू0–2 जयपाल जो घटना का चश्मदीद साक्षी है, उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित सातों व्यक्तियों में से मात्र पंछी को छोड़कर किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का नाम अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं बताया है, जिनके द्वारा यह घटना कारित की गयी है। बल्कि उसके द्वारा मात्र यह कथन किया गया है कि ''अशोक साईकिल चला रहा था और मैं बैठा था। सतीश, मुन्नू अलग साईकिल पर थे। हम सब लोग कृपाल सिंह की बाग के पास पहुंचे थे। पंछी ने फायर मारा, जो उसके बाजू में लगा। अशोक साईकिल छोड़कर भाग गया। मुल्जिमान पश्चिम की ओर भाग गये। अशोक को मुल्जिमान खींचकर बाग में ले गये, जहॉ ताबड़–तोड़ गोलियॉ चलायी।''

इस प्रकार घटना में चुटैल साक्षी द्वारा घटना में विश्वनाथ की संलिप्तता या सहभागिता किस प्रकार से थी, इसका कोई कथन अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं किया है और यह भी नहीं बताया है कि किस प्रकार के हथियार किन–किन अभियुक्तों के पास था।

न्यायालय में परीक्षित किये गये साक्षियों के कथन से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच मुकदमें बाजी की रंजिश रही है।

विवेचक द्वारा किन परिस्थितियों में अभियुक्त विश्वनाथ के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, मामले में केस डायरी उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है।

विधि का स्थापित सिद्वान्त यह है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 का निस्तारण न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए तथा न्यायालय को इस शक्ति का प्रयोग सावधानी पूर्वक यदा–कदा आपवादित परिस्थितियों में ही करना चाहिए। मात्र सन्देह के आधार पर विचारण हेतु अभियुक्तगण को तलब नहीं करना चाहिए। जब तक तक उनके विरूद्व कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न हो।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त विश्वनाथ के विरूद्व प्रथम दृष्ट्या ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया है, जिसके आधार पर उसे अन्य सह–अभियुक्तों के साथ अन्तर्गत धारा 147, 148, 302/149, 307/149 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए विचारण हेतु तलब किया जा सके, इसलिए वादी मुकदमा द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 कागज संख्या 86ब स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

–आदेश–

वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0 प्र0सं0 86ब अस्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण दुर्विजय, पप्पू एवं बृजपाल उपस्थित हैं। अभियुक्त मिन्टू की ओर से प्रस्तुत गैर हाजिरी मांफी प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है। साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 12.09.2023 को पेश हो।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01 एटा।
17.08.2023